FORM No. III

Crim - 1

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत न्यायालय अति. जिला कलक्टर धौलपुर (राज०) मुकाम

मुन्नाखाँ बनाम उप खण्ड अधिकारी सरमथुरा

किस्म मुकदमा अपील (सूचना का अधि० अधि० 2005) नं. 08 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
8/2/19	अपीलान्ट श्री मुन्नाखाँ ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी उप खण्ड अधिकारी सरमथुरा के विरुद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा से चाही गई वांछित सूचना उनसे सम्बधित नहीं होने के कारण सूचना का अधि० अधिनियम 2005 के नियम 6(3) के तहत मूल प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, सरमथुरा से संबधित होने के कारण दि० 28/11/18 को स्थानान्तरित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा के विरुद्ध प्रथम अपील पेश की गई है जिसे सुनने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। अपीलान्ट प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सरमथुरा के विरुद्ध प्रथम अपील सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश करें। अतः यह अपील पोषणीय नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। अपीलान्ट को पत्र जारी कर सूचित किया जावे। [मुकेश वर्मा] अति० जिला कलक्टर धौलपुर	

Scanned by CamScanner